आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (viii) के परन्तुक के खंड (ii) के उपखंड (बी) के अंतर्गत अनुमोदन। (आयकर नियम 1962 के नियम 3क(1) और 3क(2) के साथ पढ़ें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (viii) के परन्तुक के खंड (ii) के उप-खंड (ख) के अंतर्गत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड, पटना को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड, पटना, आयकर नियम, 1962 के नियम 3क(1) और 3क(2) में अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स राज रेटिना एंड आई केयर सेंटर [पैन: एएजीसीआर6300एम] मकान सं. 25, रोड सं. 08, पटेल नगर पटना-800023, जो प्रधान आयकर आयुक्त-1, पटना के अधीन कर निर्धारण किए जाते हैं, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (viii) के परन्तुक के खंड (ii) के उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूं।

2. तदनुसार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के चिकित्सा उपचार या उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी भी व्यय के संबंध में भुगतान की गई कोई भी राशि, जो उपरोक्त अस्पताल में केवल आंख से संबंधित रोगों या बीमारियों (कान, नाक या गले को छोड़कर) के संबंध में की गई हो, जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 3क(2) के अंतर्गत क्रमांक (*डी*) पर निर्धारित है, और जिसका उपचार उपरोक्त अस्पताल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के हाथों में एक अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. नियोक्ता ऐसी राशि के संबंध में धारा 192 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4. प्रदान किए गए अनुमोदन को भारत सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखंड, पटना या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है या आयकर नियम, 1962 के नियम 3क के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और यदि अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में बाद में परिवर्तन आवश्यक हो तो यह संशोधन/वापस लिया जा सकता है।

6. यह अनुमोदन 27-5-2021 से प्रभावी होता है और 26-5-2024 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा नियम 3क(1) के अंतर्गत ऐसे अनुमोदन के लिए आवश्यक सांविधिक शर्तों के निरंतर अनुपालन और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियंत्रित प्रावधानों में किसी भी संशोधन द्वारा आवश्यक हो सकने वाले ऐसे संशोधनों के अधीन है।

नियम और शर्तें

1. यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और केवल अस्पताल द्वारा अधिकृत परिसर पर लागू है जैसा कि इस आदेश के पैरा 1 में उल्लिखित है।

2. अस्पताल सभी उचित समय पर आयकर विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत हैं।

3. अस्पताल आयकर नियम, 1962 के नियम 3क(1) और 3क(2) में निर्धारित ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि प्रतिष्ठान कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करना बंद कर देता है, तो अस्पताल के प्रधान अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह तुरंत इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों की सूचना दें।

4. अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन वर्तमान अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. लिखित आदेश के माध्यम से बाद का अनुमोदन शर्तों के पूरा होने के अधीन होगा। इस आशय का एक शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए कि आयकर नियम, 192 के नियम 3क में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हो रहीं हैं तथा मूल आवेदन में बताए गए तथ्यों में कोई मूल/भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

[कौशलेंद्र कुमार सिंह]

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखंड, पटना

डीआईएन सं. : टीबीए/कॉम/एम/17/2021-22/1033184019(1)

दिनांक: 27/31-5-2021

1. संयुक्त सचिव, प्रत्यक्ष कर नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली
2. आयकर महानिदेशक (आईएनवी.) पटना
3. डीजीआईटी (सिस्टम), नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त।
5. सीसीआईटी (आरईएसी), रांची/बिहार और झारखंड क्षेत्र के सभी पीसीएसएल/सीएसएल।
6. निदेशक मेसर्स राज रिफाइन एंड आई केयर सेंटर [पैन: AAGCR6300M] मकान सं. 25, रोड सं. 08 पटेल नगर पटना 800023

[संजय कुमार]

आयकर अधिकारी (तकनीकी-2)

कृते, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखंड, पटना